



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-20.05.2025

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कैन्ट में पंजीकृत आर्म्स एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1200/- रु0 का अर्थदण्ड ।

थाना कैन्ट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-156/2004 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 01- मो0 अरमान आलम उर्फ बबलू पुत्र मो0 अनवर अली निवासी-S-7/67 पक्की बाज़ार गोलघर थाना कैन्ट जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक कैन्ट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-20.05.2025 को माननीय न्यायालय JM-02 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त मो0 अरमान आलम उर्फ बबलू उपरोक्त को अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि (15 दिवस) व 1200/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।